

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

राजस्व वाद सं.

103/2022

पुनः 22/2022

उनवान प्रकरण :- रूगनाथी बनाम सरकार


:- आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का सरगोठ व भूअ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंभा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम त्रिसिंजा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 87, 130 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	ओदश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	त्रिसिंजा	87 130	रूधनाथी पत्नी घासीराम कुमावत सा. कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी	रूगनाथी पत्नी घासीराम कुमावत सा. कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

क्रमांक / 2021 / 167-169

दिनांक :- 21.6.2022


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादीया रूगनाथी पत्नी घासीराम कुमावत सा. कुचामनसिटी को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)